केन्द्रीय प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में मंत्रिमंडल सचिव : एक अध्ययन

विजय कुमार*

''प्रस्तुत शोध–पत्र में प्रधानमंत्री के प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव की स्थिति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है साथ ही 1950 में उनके पद सृजन से लेकर अब तक के राजनीतिक उतार–चढ़ाव में सचिव किस रूप में प्रधानमंत्री के साथ सहभागी बनते रहे इस बिन्दु को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है ।

मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रधान मंत्रिमंडल सचिव होता है जो प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है । सचिवालय की अध्यक्षता की जवाबदेही भी सचिव पर ही होती है । क्योंकि वह सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल सचिव केन्द्रीय संस्थापक मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। मंत्रिमंडल सचिव होने के नाते वह कानून व मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेता है साथ ही मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में भी भाग लेता है। मधुलिमये ने कहा है ''इन बैठकों में कोई औपचारिक मतदान नहीं होता, आज कल इन बैठकों के निर्णयों को ही अभिलेखित किया जाता है लेकिन बैठकों की कार्यवाही को प्रधानमंत्री की अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए। यह पद आज अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है और निःसंदेह लोकसेवक की यह अंतिम नियुक्ति नहीं है। इस पद पर आसीन अधिकारियों को राज्यपाल भी बनाया जाता है''।

प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार ''योग्यतम एवं वरिष्ठतम'' अधिकारी को ही कैबिनेट सचिव बनाया जाना चाहिए। यह सचिवों की सम्मेलन की अध्यक्षता भी करता है । भारत में इस पद की शुरूआत 1950 में हुई और एन0आर0 पिल्लई प्रथम कैबिनेट सचिव बने । उनके अवकाश के बाद अब आई0ए0एस0 वर्ग के सदस्य कैबिनेट सचिव के पद पर पदासीन होते हैं। आयंगर प्रतिवेदन के अनुसार कैबिनेट सचिव को वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। उसे केन्द्रीय सरकार के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करना चाहिए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस आयोग की राय में उसे ऐसी परंपरा स्थापित करनी चाहिए जिसमें कैबिनेट सचिव उस समिति का पदेन अध्यक्ष हो जिसे प्रशासनिक नियुक्तियॉ करनी होती है। आयंगर की संस्तुति स्वीकार करने के फलस्वरूप 1950 से मंत्रिमंडल सचिव को सबसे वरिष्ठ लोकसेवक माना जाने लगा। जिसकी नियुक्ति प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर तीन वर्ष के लिए की गयी।

भारत में 1950 से लेकर 1980 तक का अधिकांश समय कॉग्रेस के शासन का रहा। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आयी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सरकार परिवर्तन के कारण मंत्रिमंडल सचिव को न बदलने की पुरानी परंपरा को बनाये

***एम0ए0, लोकप्रशासन मोजरी हाऊस, कालीस्थान सासाराम, रोहतास–821115**

रखा गया। जब श्रीमती इंदिरा गॉधी 1980 में प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने 1981 में मंत्रिमंडल सचिव के सेवानिवृत के बाद सचिव की नियुक्ति करने में तीन वरिष्ठ लोकसेवकों की उपेक्षा कर दी। ऐसे में मंत्रिमंडल सचिव की दिशा में एक नवीन पहल शुरू हुई। 1986 में पहली बार राजीव गॉधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्रिमंडल सचिव का स्थानान्तरण कर दिया गया जबकि उनकी सेवानिवृति एक वर्ष शेष था। आज यह पद राजनीतिकृत हो गया है और अधिकारच्युत करने की परंपरा आम हो चुकी है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी उसकी भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए यह सिफारिश की थी कि महत्वपूर्ण नीति निर्धारक विषयों में उसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल की समितियों का प्रमुख सलाहकार होता है। एस0एस0 खेरा जो स्वयं इस पद पर कार्य कर चुके हैं ने अपनी पुस्तक ''केन्द्रीय कार्यपालिका'' 1975 में कैबिनेट सचिव की भूमिका को अच्छी तरह दर्शाया है। उनके अनुसार कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री की ऑख और कान है। वह प्रधानमंत्री को भारत सरकार की कार्य प्रक्रिया से अवगत कराता है और प्रधानमंत्री से संपर्क बनाये रखता है, किन्तु वह प्रधानमंत्री की ओर से चौकसी रखने का कार्य नहीं करता। इस पद का मुख्य कार्य एक सामान्य स्टाफ का है, न कि विभिन्न मंत्रालयों में सूत्र एजेन्सी का कार्य करना। उसका कार्य सहायता देना है, न कि कार्य पर निगरानी रखना। इसके अलावा कैबिनेट सचिव के दो अन्य कार्य भी है– प्रथम, कभी–कभी वह प्रधानमंत्री के बिना अनुमति के अपनी सत्ता की जिम्मेदारी पूरी करता है : और दूसरे, प्रधानमंत्री द्वारा बताये गये विशेष कार्य को पूरा करता है''।

मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री का मुख्य परामर्शदाता होता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों का भी प्रमुख परामर्शदाता होता है। लोकसेवा का प्रमुख होता है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है साथ ही वह सबसे अधिक राजनीतिक व्यवस्था और लोकसेवा के बीच एक कड़ी है। कैबिनेट सचिव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारी है। इस पद के दायित्वों के दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह पर्याप्त अनुभवशील वरिष्ठ अधिकारी हो जो उच्चतर प्रतिभा तथा व्यापक कल्पना से युक्त हो।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंत्रिमंडल सचिव की महता पर प्रकाश डालते हुए यहॉ यह कहना कि आयंगर प्रतिवेदन 1949 में लिखित यह तथ्य सही है कि ''कैबिनेट सचिव प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे उच्च श्रेणी का व्यक्ति होता है, जो अपने गुणों, शक्ति पहल करने की क्षमता तथा प्रभावशीलता के कारण इस पद पर नियुक्त किया जाता है। वह कैबिनेट सचिवालय में समन्वयात्मक कार्यो को देख सकता है, विशेषतः उन कार्यों को जिनमें मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री रूचि रखते हों''। भारतीय प्रशासन का यह सर्वाधिक संपन्न एवं प्रतिष्ठित पद माना जाता है।

संदर्भ–ग्रन्थ

1. अवस्थी एवं अवस्थी : भारतीय प्रशासन, पृष्ठ–148, 149
2. श्रीराम महेश्वरी : भारतीय प्रशासन, पष्ठ–33, 34
3. मधुलिमय : कैबिनेट गवर्नमेन्ट इन इण्डिया, पष्ठ–80
4. Khera S.S. : The Central Executive New Delhi, Page-181, 182